न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–240 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 240)

1. श्रीमती झणकारी पत्नि श्री राजूनाथ जाति जोगी(नाथ) आयु करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम मेवाडिया, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री बोदूनाथ पुत्र श्री लादूनाथ
2. श्री देवा पुत्र श्री लादूनाथ
3. श्री सांगर पुत्र श्री लादूनाथ
4. आशा देवी पुत्री श्री शम्भूनाथ
5. कंचन पुत्री श्री पांचूनाथ
6. श्रीमती कमला पत्नि श्री शम्भूनाथ
7. श्री गोपाल पुत्र श्री लादूनाथ
8. दुर्गा पुत्री श्री पांचूनाथ
9. मैना देवी पुत्री श्री लादूनाथ
10. धापू पुत्री श्री पांचूनाथ
11. प्रधाननाथ पुत्र श्री शम्भूनाथ नाबालिग जरिए संरक्षक माता कमला
12. प्रमेशनाथ पुत्र श्री शम्भूनाथ नाबालिग जरिए संरक्षक माता कमला
13. सुरेशनाथ पुत्र श्री शम्भूनाथ नाबालिग जरिए संरक्षक माता कमला
14. श्रीमती विमला पत्नि श्री पांचूनाथ
15. सुमन पुत्री श्री पांचूनाथ
    समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम मेवाडिया, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 राजस्व वाद संख्या 50 / 2022.

उपस्थितः–

1. श्री नरेश जसवानी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 15
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 16

निर्णय

दिनांकः– 29.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या 1 के साथ–साथ अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर तहसीलदार पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब फरमाई जाकर दोनों पक्षकारान की विस्तृत बहस एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.6.2024 को प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनानुसार प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/6 की आराजी से रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलार्थी/अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान में करीब 70 वर्षीय वृद्ध महिला है जो कि ग्राम मेवाड़िया तहसील पीसांगन जिला अजमेर की स्थायी निवासी है। अपीलार्थी/अप्रार्थी सं. 1 एक गृहिणी होकर पूर्ण रूप से अशिक्षित महिला है जिसे कि सुस्थापित विधि एंव विधि के आज्ञापक प्रावधानों की कोई भी जानकारी नहीं होने के कारण से अपीलार्थी द्वारा अपील निश्चित निर्धारित मियाद अवधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 की प्रति दिखाई जाकर इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही किये जाने बाबत् जानकारी किये जाने पर अविलम्ब ही यह अपील वर्तमान में तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। जिससे अपील प्रस्तुत किये जाने में जो करीब 3 माह की देरी कारित हुई है उसको क्षमा कराये जाने हेतू यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो पूर्णतया सद्भाविक है जिसके पीछे अपीलार्थी की कोई दुर्भावना होकर निहित नहीं करती है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अपील प्रस्तुत करने में जो करीब 3 माह की देरी कारित हुई है को क्षमा किये जाने हेतू अपीलार्थी के पक्ष में उचित, समुचित तथा युक्तियुक्त कारण एंव आधार विधमान करते हैं। अपीलार्थी के द्वारा इस प्रार्थनापत्र के साथ अलग से प्रस्तुत की जा रही स्वतन्त्र अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर गुणावगुण पर न्यायनिर्णित नहीं किया गया तो अपीलार्थी के मालिकाना हक की आराजी में निहित हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव कारित होकर ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में आंका जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2024 के तहत केवल मात्र यह उल्लेखित कर कि "अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत अप्रार्थी सं. 3/1 से 3/6 की आराजी खसरा सं. 789, 790, 791, 792 व 821 से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है" प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया है जो कि मनमाना, विधि विरूद्ध, होने से काबिले अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सही व समुचित न्यायिक मनन नहीं कर प्रस्तुत दृष्टांत को प्रकरण में लागू होना नहीं माना जाकर प्रश्नगत आदेश पारित फरमाया गया है। अप्रार्थी सं. 1/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्यनपत्र के तहत खसरा सं. 789, 790, 791 व 792 के आगे खसरा सं. 786 होकर उपस्थित होने के कथन अभकथित करते हुए खसरा सं. 786 नाला होने का तथा उसके पश्चात खसरा सं. 785 आबादी भूमी होने के कारण से रास्ता दिये जाने के कथनों से स्पष्ट रूप से इंकारी की जाकर प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 द्वारा अपनी सुविधा के लिये नया रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते है क्योंकि उनके पास अपने खेतों में आने–जाने के लिये पहले से ही रास्ता उनकी खातेदारी की भूमी खसरा सं. 833 में से होकर खसरा स. 835 भूमी मौके पर रास्ते के रूप में विगत कई वर्षों से काम में लिये जाने के एंव उक्त रास्ता आगे जाकर सरकारी रास्ते में मिल जाने के कथन

किये गये जो कि मौके एंव रिकार्ड के अनुसार सही व उचित कथन थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के इस निवेदन को अनसुना व अनदेखा करते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग न कर प्रश्नगत आदेश पारित फरमाया गया है। प्रश्नगत आदेश के तहत खसरा सं. 789 से 792 एंव खसरा सं. 821 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश सुस्थापित विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि खसरा सं. 786 मौके पर नाला के रूप में होकर प्रयोग में लिया जा रहा है जिसमें से रास्ता दिया जाना विधि अनुसार कतई सम्भव नहीं है के कारण से भी प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 की प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों अनुसार रास्ता प्राप्त करने की बद्नियती स्पष्ट्तया अभिलेख पर उजागर थी व रही बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दू के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 1 के निवेदन को अनसुना कर एवं दस्तावेजात का सही व समुचित अवलोकन न कर केवलमात्र यह कथित कर कि "अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत अप्रार्थी सं. 3/1 से 3/6 की आराजी खसरा सं. 789, 790, 791, 792 व 821 से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है" प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया गया है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने से पूर्व अप्रार्थी सं. 1/अपीलार्थी को कोई विधिवत सूचना दिये बिना ही मौके पर रास्ते के बाबत् मौका रिपोर्ट दिनांक 08. 12.2022 की तलब कर ली गई और मौके पर तहसीलदार पीसांगन उपस्थित ही नहीं हुए उनके द्वारा केवलमात्र पटवारी हल्का पीसांगन से रिपोर्ट मंगवाई जाकर स्वंय के हस्ताक्षर से प्रस्तुत कर दी गई है जो कि विधिसम्मत नहीं होकर मौके की परिस्थिती से प्रथम दृष्ट्या ही विपरीत होना स्पष्ट दर्शित होता है के बावजूद प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया गया है जो कि प्रथम दृष्ट्या ही मनमाना होने से काबिले अपास्त फरमाये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में यहाँ यह निवेदन किया जाना उपयुक्त हो गया है कि तहसीलदार पीसांगन द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा सं. 786 जो कि मौके पर नाला के रूप में होकर प्रयोग में लिया जा रहा है से प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 को इस खसरे से रास्ता नहीं दिये जाने बाबत् अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उज्र भी लिया गया का कोई भी उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया एंव न ही खसरा सं. 786 की कोई भी जमाबंदी व नक्शा ही अपनी रिपोर्ट के साथ ही अभिलेख पर प्रस्तुत की गई ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत आदेश पारित किये जाते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर न्यायिक मनन कर आदेश पारित फरमाया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बावजूद निवेदन उक्त तथ्य के, मनमाने रूप से उक्त अंकित प्रश्नगत आदेश पारित फरमाया गया है। यहाँ यह और निवेदन किया जाना उपयुक्त हो गया है कि बरवक्त बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी सं. 1 के इस निवेदन को भी कि "प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 द्वारा अप्रार्थीगण पर रास्ते को बाड़ लगाई जाकर अवरूद्ध करने के असत्य कथन अंकित किये गये है एंव उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत ही नहीं की गई है" को भी अनसुना किया जाकर प्रश्नगत आदेश पारित फरमाया गया है जो कि काबिले अपास्त फरमाये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में यहाँ यह निवेदन किया जाना उपयुक्त हो गया है कि प्रार्थीगण जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असत्य आधारों पर वैकल्पिक रास्ते की प्राप्ति के

अनुतोष बाबत् उपस्थित हुए थे यदि उसके अभिवचनों में कोई सत्यता होती तो वह निश्चित ही अभिलेख पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध किये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण अवश्य ही प्रस्तुत करते। तहसीलदर पीसांगन द्वारा जो मौका रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत की गई वह रिपोर्ट विधि अनुसार सही व समुचित न होकर केवलमात्र एक पक्ष को अविधिक रूप से लाभ पहुंचाये जाने के अविधिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है क्योंकि उक्त रिपोर्ट तैयार किये जाते समय न तो पटवारी पीसांगन द्वारा अप्रार्थीगण को मौके पर तलब किया गया एंव न ही तहसीलदार पीसांगन द्वारा ही अप्रार्थीगण को मौके पर तलब किया गया जिससे प्रथम दृष्ट्या ही मौका रिपोर्ट विधिसम्मत नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य कि प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 15 द्वारा अपने स्वीकृत कथनों से विगत कई वर्षों से उनकी आराजी पर आने–जाने बाबत् रास्ता होने के कथन लिये गये किन्तु उक्त रास्ता किस प्रकार से बाधित हुआ एंव वर्तमान में उक्त रास्ता किस प्रकार से अनुप्युक्त है को अनदेखा कर प्रश्नगत आदेश पारित फरमाया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.06. 2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–अ रा० का० अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजीयात खसरा सख्या 822, 823 ग्राम मेवाडिया में अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु खसरा सख्या 785 गैर मुमकिन आबादी एवं 786 किस्म गैर मुमकिन धोरे से होते हुए अपनी सह खातेदारी के खेत खसरा संख्या 789 गैर मुमकिन चाह से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 के खातेदारी खसरा सख्या 790, 791 व 792 के मध्य अवस्थित सींव दक्षिण से उत्तर की ओर होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 821 व अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खसरा संख्या 790 के मध्य सींव उत्तर से उत्तर पश्चिम दिशा पर अवस्थित कदीमी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी आराजी खेत खसरा संख्या 821 की उत्तर पूर्वी सीमा पर बाड लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। अतः प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी आराजी तक पहुंचने हेतु 20 फिट चौडा रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत से दिलवाया जाकर अधिकार अभिलेख में किस्म रास्ता अंकित किया जावे। रास्ते का प्रतिकर प्रार्थीगण को जमा कराने का आदेश फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया व प्रार्थी द्वारा कहे गए कथनों से इंकार किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए दिनांक 26.6.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

भू अभिलेख निरीक्ष व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2022 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा पक्षकारों को मौका रिपोर्ट बनाए जाने बाबत सूचना दी गई थी तथा बावजूद सूचना के अप्रार्थी/अपीलांट मौके पर उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 822, 823 में आवागमन हेतु 20 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण/अपीलांट के खसरा नम्बर 790, 791, 792 एवं 821 में से चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट में मौके का भली भांति निरीक्षण कर व अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व दिया गया मार्ग लघुत्तम का उल्लेख करते हुए बनाई गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अपनी आराजीयात में जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक मार्ग का अभाव है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट को दिया गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मंशा अनुसार उतना ही दिया गया है जिससे प्रार्थी/रेस्पोडेंट अपनी आराजीयात में सरल व सुगम तरीके से आ जा सके व कृषि यंत्रों को सुविधा की दृष्टि से ले जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पक्षकारों को विधिवत सूचना दिए जाने के पश्चात मौके पर उपस्थित अन्य दो मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में बनाई जाकर तहसीलदार पीसांगन को प्रेषित की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। चूंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्यों कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के बाद ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई

सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ते कायमी के आदेश दिए गए है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर